न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—1, बैतूल, जिला—बैतूल (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारी—कमलेश कुमार इटावदिया)

<u>व्य.वाद प्र. क्रमांक 70ए / 2017</u> संस्थापन दिनांक :-04.04.2017

- गयाबाई बेवा चांगों, उम्र–55 वर्ष, निवासी–मिलानपुर तह. व जिला बैतूल
- संगीता पत्नि श्री संतोष चरपे, उम्र–38 वर्ष, निवासी–बिरूल बाजार, तह. मुलताई, जिला बैतूल म.प्र.
- आशा पत्नि उमेश घोरसे, उम्र—35 वर्ष, निवासी—मानिकराव घोरसे के मकान में, रेल्वे पानी की टंकी, शास्त्री वार्ड, पांढुर्णा, तह. पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा म.प्र.
- मंदा पिं नवनीत बारमासे, उम्र–31 वर्ष,
 निवासी– बैतूल बाजार,
 तह. व जिला बैतूल

.....<u>वादीगण</u>

(विरुद्ध)

- बाबू अलोने वल्द फगन्या अलोने, उम्र–65 वर्ष,
 निवासी– आरूल(मिलानपुर) तह. व जिला बैतूल
- सेवंती घोरसे पत्नि भगवंत राव, उम्र–35 वर्ष, निवासी– बरारीपुरा छिन्दवाड़ा, तह. छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाडा म.प्र.
- पंछी बनकर पित्न शेषू, उम्र–32 वर्ष,
 निवासी–एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर, बैतूल बाजार,
 तह. व जिला बैतूल
- मध्यप्रदेश शासन,
 द्वारा कलेक्टर बैतूल।

....प्रतिवादीगण

<u> –::(आदेश)::–</u>

(आज दिनांक 06-11-2017 को पारित किया गया)

1— इस आदेश के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक—2 व 3 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 व 3 सहपठित धारा—151 व्यप्रसं. प्रस्तुति दिनांक 20.06.2017 जिस पर आई.ए. नम्बर 1/17 अंकित किया गया है, का निराकरण किया जा रहा है।

- 2— प्रतिवादी कमांक—2 व 3 की ओर से उक्त आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्होंने वादीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिदावा प्रस्तुत किया है। वसीयतनामा दिनांक 04.07.2009 के माध्यम से स्व. श्री मित सावित्रीबाई ने ग्राम आरूल स्थित भूमि खसरा नम्बर—355 रकबा 2.020 हेक्टेयर प्रतिवादी कमांक—1 से 3 के पक्ष में वसीयत कर प्रत्येक को भूमि में 1/3 हक और हिस्सा दिया। स्व. श्रीमित सावित्री बाई के स्वर्गवास के उपरांत उक्त भूमि के सहस्वामी व आधिपत्यधारी प्रतिवादी कमांक—1 से 3 हुए। वादीगण वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी कमांक—1 से 3 को बेदखल करने के लिए प्रयासरत हैं। यदि प्रतिदावा लंबित रहने के दौरान वादीगण वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी कमांक—1 से 3 को बेदखल करते है या भूमि रहन रखते है तो ऐसी दशा में उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी एवं उनके विधिक हक का हनन होगा। प्रतिवादी कमांक—2 व 3 के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है। उक्त आधार पर प्रतिवादी कमांक—2 व 3 ने वादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने का निवेदन किया है।
- 3— वादीगण ने आवेदन का जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वसीयत नामा दिनांक 04.07.2009 बनावटी व फर्जी होकर विधि विपरीत है। प्रतिवादी कमांक—2 व 3 का यह कथन असत्य है कि समस्त विवादित भूमि पर उनका आधिपत्य है। प्रतिवादी कमांक—2 व 3 के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है। प्रतिवादी कमांक—2 और 3 की ओर से प्रस्तुत आवेदन प्रचलन योग्य नहीं है। उक्त आधार पर प्रतिवादी कमांक—2 और 3 की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र निरस्त किया जाने का निवेदन किया।
- 4— प्रतिवादी क्रमांक—2 और 3 की ओर से प्रस्तुत आवेदन के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं:—
 - क्या प्रतिवादी क्रमांक—2 और 3 का प्रकरण प्रथमदृष्ट्या सुनवाई योग्य है?
 - 2. क्या सुविधा का संतुलन प्रतिवादी क्रमांक— 2 व 3 के पक्ष में है?
 - 3. क्या प्रतिवादी क्रमांक—2 व 3 के पक्ष में व वादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित नहीं की गयी तो प्रतिवादी क्रमांक— 2 व 3 को अपूर्णीय क्षति होगी?

-:: <u>सकारण निष्कर्ष</u>::-

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 से 3:-

- 5— सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य विश्लेषण की पुनरावृत्ति को अपवर्जित करने के उद्देश्य से उपरोक्त विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 3 का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।
- 6— प्रतिवादी क्रमांक—2 व 3 की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में प्रतिवादी क्रमांक—2 सेवंती घोरसे पिंतन भगवंत राव एवं प्रतिवादी क्रमांक—3 पंछी बनकर पिंतन शेषू ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का औपचारिक समर्थन किया है। प्रतिवादी क्रमांक—2 व 3 की ओर से व्यक्त किया कि भूमि सर्वे नम्बर 355 रकबा 2.020 हेक्टेयर के संबंध में स्व. सावित्रीबाई ने उनके पक्ष में दिनांक 04.07.2009 को वसीयतनामा निष्पादित किया था। वसीयतनामा अनुसार उक्त भूमि में प्रतिवादी क्रमांक—1 लगायत 3 का 1/3—1/3 भाग पर हक होकर हक अनुसार भूमि के सहस्वामी तथा आधिपत्य धारी हैं।
- 7— दिनांक 04.07.2009 को निष्पादित तथाकथित वसीयतनामा की फोटो प्रति भी प्रतिवादी क्रमांक—2 व 3 की ओर से प्रस्तुत की है, जिसमें लेख है कि ग्राम आरूल स्थित भूमि सर्वे नम्बर 355 रकबा 2.020 हेक्टेयर का हक व हिस्सा स्व. सावित्रीबाई ने प्रतिवादी क्रमांक—1 लगायत 3 को दिया। उक्त वसीयतनामा दिनांक 04.07.2009 के साक्षी रामेश्वर व विजय ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि सावित्रीबाई ने उनके समक्ष दिनांक 04.07.2009 को वसीयतनामा निष्पादित किया था, उक्त वसीयतनामा पर निष्पादक सावित्रीबाई ने अंगूठा निशानी लगाया था तथा वकील साहब व टाईपिस्ट ने भी अपने—अपने हस्ताक्षर किए थे। वसीयतनामे के साक्षी विजय व रामेश्वर ने शपथ पत्र में लेख किया है कि उनके समक्ष ग्राम आरूल स्थित कृषि भूमि सावित्रीबाई, उनकी बहन पंछी बाई और पिता बाबू को वसीयत की थी। साथ ही कहा कि ग्राम अनकावाडी स्थित भूमि गयाबाई की लड़कियों को दी तथा सुहागपुर स्थित भूमि और मिलनपुर स्थित मकान सेवंतीबाई और पंछीबाई के पिता बाबू को वसीयतनामा अनुसार दी थी।
- 8— उक्त वसीयतनामा के संबंध में वादीगण की ओर से कहा कि उक्त वसीयतनामा दिनांक 04.07.2009 बनावटी व फर्जी होकर विधि विपरीत है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 04.07.2009 के आधार पर

प्रतिवादी पक्ष ने राजस्व न्यायालय या तहसील न्यायालय में कोई कार्यवाही करते हुए वसीयतनामा में उल्लेखित शर्त अनुसार भूमि सर्वे नम्बर 355 रकबा 2.020 हेक्टेयर या उसके भाग पर अपना नाम दर्ज कराने आदि के संबंध में कोई कार्यवाही की हो, ऐसी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। भूमि सर्वे नम्बर 355 रकबा 2.020 हेक्टेयर या उसके किसी भाग पर प्रतिवादी क्रमांक—2 व 3 का आधिपत्य होने बाबत दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है। उक्त तथाकथित वसीयतनामा के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक—2 व 3 को भूमि सर्वे नम्बर 355 रकबा 2.020 हेक्टेयर या उसके किसी भी अंश में हक स्वत्व प्राप्त हुआ हो, ऐसे भी राजस्व दस्तावेज आदि अभिलेख पर नहीं है। अन्यथा भी वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रमांक—2 व 3 के तथाकथित आधिपत्य वाली वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया हो या उक्त भूमि को तथाकथित रूप से रहन रख्ने का प्रयास किया हो, ऐसी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।

प्रतिवादी क्रमांक-2 व 3 की ओर से तर्क के दौरान व्यक्त किया कि शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विवाद के संबंध में विनिश्चय अंकित किया जा सकता है। साथ ही कहा कि यदि प्रकरण को प्रथम दृष्ट्या सुनवाई योग्य होने व सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में होने तथा अपूर्णीय क्षति वाले बिंदू को पक्षकार अपने पक्ष में प्रमाणित करता है तो उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जानी चाहिए। साथ ही कहा कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली जटिलता से बचने के लिए संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बाबत आदेश पारित किया जाना चाहिए। प्रतिवादी क्रमांक-2 व 3 द्वारा अपने तर्क के समर्थन में एम.पी. व्ही.नोट 1978(1) नोट 149 ''शिवप्रसाद विरूद्ध महारिन बाई व अन्य'', एम.पी. व्ही.नोट 1982 नोट 192 ''शिवकुमार विरूद्ध नगरपालिका'', एम.पी.व्ही.नोट 1981(1) नोट 11 ''ठाकूरजी महादेव जी विरूद्ध हजारीलाल सराफ'', एम.पी.व्ही. नोट 1999(2) नोट 11 ''शोभना सरदेशाई विरूद्ध राधेश्याम'', एम.पी. व्ही.नोट 1978 नोट 247 ''अनिल कुमार हितेश विरूद्ध काशीनाथ'' सदर न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किए है। परंतु इस प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष ने इस प्रक्रम पर ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिसके अनुसार तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 04.07.2009 के आधार पर प्रतिवादी पक्ष को वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का हक व स्वत्व प्राप्त हुआ हो तथा प्रतिवादी पक्ष का उक्त वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य हो, यह भी इस प्रक्रम पर प्रकट नहीं हुआ। अर्थात् इस प्रकरण के तथ्य व परिस्थिति सदर न्यायदृष्टांत से भिन्न होने के कारण प्रतिवादी क्रमांक—2 व 3 को सदर न्यायदृष्टांतों के अभिमत का लाभ प्राप्त नहीं होता।

- 10— उपरोक्तानुसार प्रतिवादी क्रमांक—2 व 3 अपने पक्ष में प्रकरण प्रथम दृष्ट्या सुनवाई वाला बिन्दू तथा सुविधा के संतुलन वाला बिन्दू अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। वादीगण के किसी कार्य से प्रतिवादी क्रमांक— 2 व 3 को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होगी यह तथ्य भी प्रतिवादी क्रमांक— 2 व 3 अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अर्थात् प्रतिवादी क्रमांक—2 व 3 विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 3 को अपने पक्ष में एवं वादीगण के विरुद्ध प्रमाणित करने में असफल रहे हैं।
- 11— परिणामस्वरूप प्रतिवादी क्रमांक—2 व 3 की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा—151 व्यप्रसं. प्रस्तुति दिनांक 20.06. 2017 जिस पर आई.ए. नम्बर 1/17 अंकित किया गया है, स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।
- 12— इस आवेदन पत्र का व्यय प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय पारित आदेशानुसार देय होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

सही
(कमलेश कुमार इटावदिया)
प्रथम व्यवहार न्याया.वर्ग—1
बैतूल (म.प्र.)

सही— (कमलेश कुमार इटावदिया) प्रथम व्यवहार न्याया.वर्ग—1 बैतूल (म.प्र.)